JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

Office Order

In reference to office order (BRLPS/Proj-M&E/827/15/I/14152/2021 dated 09.12.21), it is further being communicated that a common formats of agreement for hiring of MIS Executives through CLFs is to be followed in all districts and they are:

1. Format of agreement between MIS executive and CLFs has been prepared (Annexure 1).
2. Format of agreement between BRLPS and CLFs dated 05/07/2013 (Annexure 2).

The formats must be duly filled & signed and must be maintained at the CLF, BPIU and DPCU levels. The hiring process to be completed as per the timelines in earlier office order mentioned above.

By the order of CEO

Signed by Rajiv Kumar Singh
Date: 07-02-2022 14:32:41
Reason: Approved
(Rajiv Kumar Singh)
Officer on Special Duty

Annexure:

1. Agreement between MIS Executives and CLF

2. Agreement between BRLPS and CLF

Copy to:

1. Director, OSD, PCs, CFO, AO
2. All SPMs, PS, SFMs, PMs, AFMs, PO
3. All DPMs, M&E Managers
4. IT Section

ANNEXURE 1

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनांक .... को ....जीविका महिला संकुल संघ, पता.. .... (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री /श्रीमती .... उम्र .... पिता / पति ....पता... .... (द्वितीय पक्ष) के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

इस एकरारनामा के तहत "...........................जीविका महिला संकुल संघ" के द्वारा श्री /श्रीमती .... की सेवाओं को स्वंय सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) के रूप मे 'एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) पालिसी के तहत अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती है। यह कि 'संकुल संघ' श्री /श्रीमती .... को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वंय सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के सेवार्थ /सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है। ।

1. यह कि श्री /श्रीमती .... (एमआइएस एग्जीक्यूटिव) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित संकुल संघ का प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई होगा। प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ एवं अन्य सामुदायिक संगठनो के विभिन्न एमआइएस एप्प/मोड्यूल आदि के एंट्री के साथ-साथ, समय-समय पर परियोजना द्वारा दिए गए कार्य को सम्पादित करना एमआइएस एग्जीक्यूटिव का मुख्य दायित्व होगा। आवश्यकतानुसार संकुल संघ की अनुमति से इनका पदस्थापन जिला कार्यालय मे भी किया जा सकता है एवं जिला कार्यालय से दिए गए कार्यों को सम्पादित करना इनका मुख्य दायित्व होगा।
2. यह कि श्री /श्रीमती .... (एमआइएस एग्जीक्यूटिव) को प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा प्रदत अनुपस्तिथि विवरणी के आधार पर उनका मासिक मानदेय का भुगतान सम्बंधित संकुल संघ द्वारा किया जायेगा। पालिसी के आधार पर उन्हें परियोजना द्वारा अनुमोदित अवकाश तिथियों के अतिरिक्त माह मे एक आकस्मिक अवकाश भी देय होगा। जिला कार्यालय मे पदस्थापन की स्थिति मे इनका अनुपस्थिति विवरणी जिला परियोजना प्रबंधक अथवा नामित प्रबंधक द्वारा दिया जायेगा एवं सम्बंधित संकुल संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा।
3. यह कि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) को ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्तिथि मे यात्रा खर्च (वास्तविक) ग्राम संगठन / संकुल संघ / परियोजना द्वारा देय होगा। ।
4. यह कि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, संकुल संघ के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) पालिसी' के अनुसार देय होगा।
5. यह कि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) को संकुल संघ एक माह के नोटिस मे कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य मे शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने मे सक्षम नहीं हो, संकुल संघ के नियम-कानून का उलंघन करता / करती हो, संकुल संघ का विश्वास खो चूका / चुकी हो एवं बिना सुचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो।।

6. यह कि यदि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक ग्राम संगठन /संकुल संघ संतुष्ट नहीं हो जाता है।
7. यह कि एमआइएस एग्जीक्यूटिव (MIS Executive) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृतिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
8. यह कि संकुल संघ द्वारा श्री /श्रीमती .... की सेवाओं को अनुबंध समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंध सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा।
9. यह कि श्री /श्रीमती .... , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ /पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है।

सचिव --------------------- अध्यक्ष -------------------

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) **हस्ताक्षर एवं मुहर - संकुल संघ (प्रथम पक्ष)**

गवाह 1. ----------------------
2. ----------------------

गवाह 1. ------------------
2.-------------------

ANNEXURE 2

ANNEXURE-A (2)

संकुल स्तरीय संगठन एवं जीविका के बीच मानक अनुबंध–पत्र

1. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जो अबसे जीविका के रूप में जानी जाएगी) की ओर से .... प्रखंड परियोजना कियान्वयन इकाई (जो अब से बी.पी.आई.यू. के रूप में जानी जाएगी) तथा .... संकुल स्तरीय संगठन (जो अब से संकुल स्तरीय संगठन / सी.एल.एफ के रूप में जाना जाएगा) के बीच यह एकरारनामा निम्नांकित प्रतिनिधियों के माध्यम से आज दिनांक .... 20.......... को.. (स्थान का नाम) में संपन्न हुआ ।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति एवं बी.पी.आई.यू. .... (बी.पी.आई.यू. का नाम),...................................प्रखंड, ...जिला के प्रतिनिधि श्री / श्रीमती / सुश्री.. पदनाम..	....संकुल स्तरीय संगठन, ...ग्राम................................प्रखंड, ...जिला के प्रतिनिधि 4. श्रीमती / सुश्री... 5. श्रीमती / सुश्री... 6. श्रीमती / सुश्री......................................

2. बिहार सरकार की ओर से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना / बिहार कोसी आपदा पुनर्वास परियोजना (बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट) / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन जीविका द्वारा राज्य के चयनित प्रखंडों एवं जिलों में हो रहा है एवं इसका विस्तार पूरे राज्य स्तर पर किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त संकुल स्तरीय ग्राम संगठन जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है, का गठन ग्राम संगठनों के संघ के रूप में किया गया है।

उपर्युक्त पक्ष निम्नांकित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार वित्तीय एकरारनामा करते हैं :–

4. इस एकरारनामे के तहत जीविका द्वारा समय–समय पर गठित मार्गदर्शिका के अनुसार संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक संस्थागत विकास निधि एवं विशेष तकनीकी सहयोग निधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं ऋण सामुदायिक संगठनों को दिए जाएंगे। इस मार्गदर्शिका के अनुसार ही समुदाय को दिये जाने वाले अन्य प्रकार के सहयोग आच्छादित हैं ।

5. संकुल स्तरीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि दी जाने वाली अनुदान अथवा ऋण राशि केवल उन्ही ग्राम संगठनों, समूहों या उनके सदस्यों को दिया जाएगा जो पंचसूत्र का नियमानुसार पालन करने वाले हों। संकुल स्तरीय संगठन एवं उसके सदस्य ग्राम संगठन अपनी बैठक नियमावली अथवा सहमति के आधार पर करने तथा समता, दायित्व एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। संकुल स्तरीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि इसके अधीन विभिन्न क्रियाशील उपसमितियाँ दक्षता के साथ प्रभावी तरीके से संचालित हो रही हैं।

6. प्रत्येक निधि हेतु संबंधित मार्गदर्शिका एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों में निर्धारित मापदंडों के पूरा होने के उपरांत ही संकुल स्तरीय संगठनों को राशि विमुक्त की जाएगी।

7. संकुल स्तरीय संगठन अपने अथवा ग्राम संगठनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा सीधे संचालित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति, सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति विषयक मार्गदर्शिका में निर्धारित एवं जीविका द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य प्रकिया के अनुसार ही हो ।

8. अपनी "सामाजिक अंकेक्षण समिति" के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना द्वारा दी गई निधियों का उपयोग सहमति प्राप्त सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) एवं प्रचलित सामुदायिक मार्गदर्शिका कॉम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल (सी.ओ.एम.) के आधार पर हो। इस अनुबंध पत्र के अन्तर्गत संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ग्राम संगठनों/स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋण के विषय में "ऋण वसूली समिति" सहमति प्राप्त शर्तों के अनुरूप समय पर ऋण की वापसी सुनिश्चित करेगी। निधि के वास्तविक उपयोग में होने वाले किसी बदलाव की समुचित सूचना ग्राम संगठन द्वारा दी जाएगी ताकि जरूरी सुधारात्मक प्रकिया अथवा संकुल स्तर की अभिपुष्टि प्राप्त की जा सके ।

9. संकुल स्तरीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि संकुल स्तरीय संगठन अथवा ग्राम संगठन के स्तर पर अभिलेख पुस्तकों का संधारण नियमित आधार पर हो तथा उनके द्वारा जीविका को वित्तीय जानकारी समर्पित किये जायें। संकुल स्तरीय संगठन यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसका लेखा पूर्ण कर लिया जाए तथा जीविका द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका अथवा नियमावली के अनुसार इन लेखा कार्यों का अंकेक्षण करा लिया जाये।

10. संकुल स्तरीय संगठन निष्पक्षता, समता एवं पारदर्शिता के अनुसार विविध आजीविका एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यक्रमों/प्रयासों को लागू करेगा। इसके द्वारा आरंभ किये जाने वाले समस्त संपोषित कार्यक्रमों में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महादलित परिवारों को सम्मिलित करने के लिये विशिष्ट प्रयास किये जायेंगे।

11. संकुल स्तरीय संगठन इस बात पर सहमत है कि वह जीविका द्वारा समय–समय पर निर्गत नीतियों एंव मार्गदर्शन में निर्धारित विधि के अनुसार ऋण घटक के मूल एवं ब्याज राशि की वापसी ग्राम संगठनों से ससमय सुनिश्चित करेगा ।

12. संकुल स्तरीय संगठन ऐसे किसी भी नियम का पालन करेगा जो सामुदायिक संगठनों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से जीविका द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

13. जीविका संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से विभिन्न ग्राम संगठनों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, क्षमता–वर्धन, तकनीकी सहयोग और आवश्यकता आधारित संपोषण प्रदान करेगी। विभिन्न जीविकोपार्जन उन्मुखी प्रयासों के प्रभावी कियान्वयन हेतु यह अन्य विभागों तथा संस्थाओं से वांछित समन्वयन भी सुनिश्चित करेगी ।

14. संकुल स्तरीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के तहत चिह्नित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम संगठन को ससमय स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति हो।

15. जीविका द्वारा प्राप्त निधि का गलत उपयोग, एकरारनामे का वस्तुगत उल्लंघन अथवा संकुल स्तरीय संगठन/इसके ग्राम संगठनों द्वारा किसी शर्त या अपेक्षा का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाने वाला वित्त–पोषण रदद् कर दिया जायेगा और/अथवा इस एकरारनामे के तहत उपलब्ध कराये गये सहयोग/सहयोग राशि की वापसी कर ली जायेगी।

16. सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उपयोग का अंकेक्षण जीविका द्वारा किया जायेगा और संकुल स्तरीय संगठन इसके लिए सहमत है कि अनुरोध किये जाने पर जीविका को लेखा–जोखा संबंधित पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

17. इस एकरारनामे की शर्तें संकुल स्तरीय संगठन को अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व दी गयी राशि पर भी लागू होंगी ।

हस्ताक्षर :

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(संकुल स्तरीय संगठन)	(संकुल स्तरीय संगठन)	(संकुल स्तरीय संगठन)

क्षेत्रीय समन्वयक **प्रखंड परियोजना प्रबंधक**

दिनांक :

परिशिष्ट – 1

1– संकुल स्तरीय संगठन का नाम : ....

2– संकुल स्तरीय संगठन का पता : ....

3– प्रखंड का नाम : ....

4– जिला का नाम : ....

5– सदस्य ग्राम संगठनों की सूचीः

क्रम सं0	सदस्य ग्राम संगठनों का नाम	ग्राम का नाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10		
11.		
12.		

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

क्रम सं0	सदस्य ग्राम संगठनों का नाम	ग्राम का नाम
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

48		
49		
50		

6. संकुल स्तरीय संगठन के बैंक खाते का विवरण :

क0 संख्या	बैंक का नाम (शाखा के नाम के साथ)	खाता संख्या	खाते का स्वरूप	बैंक में खाता चलाने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम
				नाम
1				1.
				2.
				3.
2				1.
				2.
				3.
3				1.
				2.
				3.

5/7/2013